<u>राजस्थान–सरकार</u>

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 327/2021

बउनवान

लक्ष्मीचन्द पुत्र गंगाविशन जाति मीना निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील छीपाबड़ौद

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री आलोक गोयल अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 09.11.2021</u>

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 506/2020 किस्म अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट में तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बंजारी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2077 में खसरा नम्बर 10 की रकबा 05 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 250/– रूपये तावान राशि से दण्डित किया गया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

इस पर अपील को दिनांक 03.11.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है जिससे अपीलांट को साक्ष्य पेश करने अथवा जवाबदेही का अवसर नहीं मिला। हल्का पटवारी से जिरह भी नहीं हो सकी, इन सभी तथ्यों बाबत् न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी को वक्त बहस अर्ज किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं फरमाया जाकर अपीलांट को सजायाब किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है और न हीं उक्त प्रकरण में अपीलांट को [illegible] न्यायालय द्वारा नोटिस की विधिवत् तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की गलत [illegible] रिपोर्ट [illegible] आधार पर सजायाब फरमाया गया है। अपीलांट ने न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी [illegible] द्वारा किया गया जुर्माना जमा करवा दिया है और सरकारी भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। इस बाबत पटवारी हल्का की [illegible] पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश के कम पढ़े–लिखे [illegible] है जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये है और अपीलांट को जिला कारागृह, बाराँ में भिजवाने पर आमादा है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 21.09.2020 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:46:25 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। इस न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.07.2021 के अनुसार विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया जाकर पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटि होना पाया जाता है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2021 के अनुसार वर्तमान में अपीलांट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण वसूली राशि जमा करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 506/2020 में अन्तर्गत एल.आर. एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार, छीपाबड़ौद आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे, यदि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बंजारी तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नम्बर 10 की रकबा 05 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा नहीं पाया जावें तो नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 506/2020 में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:46:25 IST
Reason: SelfAttested